

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8791

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 27, 2017/कार्तिक 5, 1939

No. 879]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 27, 2017/KARTIKA 5, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2017

सं. 05 /2017- स्वापक नियंत्रण-।

सा.का.नि.1331(अ).—स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना मं. सा.का.नि. 1309(अ), दिनांक 18.10.2017 जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था में निम्नलिखित मंशोधन करती है, यथा:—

- 1. उक्त अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1309(अ) दिनांक 18.10.2017 में, पैरा 2 में, उप-पैरा (i) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :—
 - "(i) वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2016-17 के दौरान अफीम पोस्त की खेती की थी और मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों में 56 किलोग्राम अफीम प्रति हेक्टेयर से कम अफीम की औसत उपज नहीं दी थी।"
- 2. उक्त अधिसूचना मं. सा.का.नि. 1309(अ), दिनांक 18.10.2017 में, पैरा 2 में उप-पैरा (v) के पश्चात, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :—
 - "(vi) वे किसान जो अधिसूचना सं. 02/2016-स्वापक नियंत्रण-I, दिनांक 20 अक्तूबर, 2016 के पैरा 2क के अनुसार अफीम लाइसेंस को प्रदान किए जाने के पात्र तो थे लेकिन वे लाइसेंस प्राप्त नहीं कर सके/ या उनको नहीं प्राप्त हो सका या लाइसेंस प्राप्त करने के बाद किसी भी कारण से फसल वर्ष 2016-17 के दौरान अफीम फसल की बुआई नहीं कर सके।"

[फा. सं. एन. 14011/1/2017-एनसी-I]

दिनेश बौद्ध, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2017

No. 05/2017-NARCOTICS CONTROL-I

- G.S.R. 1331(E).—In pursuance of rule 8 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules. 1985, the Central Government hereby makes following amendment in the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, Notification No. G.S.R. 1309(E) dated 18/10/2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-Section (i), namely:—
- 1. In the said Notification No. G.S.R. 1309(E) dated 18.10.2017, in Para 2, Sub-Para (i) shall be substituted, namely:—
 - "(i) cultivators who had cultivated Opium Poppy during the crop year 2016-17 and tendered an average yield of opium having not less than <u>56 kg/ hectare of opium</u> in the state of Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh."
- 2. In the said Notification No. G.S.R. 1309(E) dated 18.10.2017, in Para 2 after Sub-Para (v), the following shall be inserted, namely:—
 - "(vi) Cultivators who were eligible for grant of opium license in terms of Para 2A of Notification No. 2/2016-Narcotics Control-I dated 20th October 2016, but could not/did not obtain license, or could not sow the opium crop after obtaining the license, due to any reason during the crop year 2016-17".

[F. No. N.-14011/1/2017-NC-I] DINESH BOUDDH, Dy. Secy.

> RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.10.27 22:39:38 +05'30'